रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1436/2026/1399/22-2-2026-17(770)/2026
लखनऊ: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी राम जानकी (बन्दी सं0-249/2026) पत्नी श्री जियालाल, हैवतमऊ मवैया, थाना-पी0जी0आई0, जनपद-लखनऊ की रहने वाली है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-1606/2021 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 4 डी०पी०एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के आदेश दिनांक 30.04.2026 द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है, बंदी द्वारा दिनांक 20.05.2026 तक अपरिहार 05 वर्ष, 07 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 07 माह, 07 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1436/2026/1399 (1)/22-2-2026 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
3- पुलिस उपायुक्त, लखनऊ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in